

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक:एफ.28( )परावि/प्रशा.2/पंपत्र-देसूरी/भ्रनिब/निल./2011/4786  
जयपुर,दिनांक: 27/11/15

:: आदेश ::

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.13(607)परावि/प्र.2/ग्रा.से./शिका/जांच/निल-बहाल/जयपुर/10/4495 दिनांक 03.11.2015 द्वारा माननीय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निर्णय के अध्यक्षीन निलम्बन से बहाल किये गये पंचायत प्रसार अधिकारी, श्री भागीरथ प्रसाद मीणा, पंचायत समिति देसूरी (पाली), को तत्काल प्रभाव से पंचायत समिति पदमपुर (श्रीगंगानगर) में पंचायत प्रसार अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(राजेन्द्र शेखर मक्कड)  
अतिरिक्त आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. विशिष्ट सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
3. मुख्य / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पाली / श्रीगंगानगर।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति देसूरी (पाली) / पदमपुर (श्रीगंगानगर)।
5. ए.सी.पी., कम्प्यूटर शाखा (मुख्यालय) को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
6. आदेश पत्रावली/रक्षित पत्रावली।
7. श्री भागीरथ प्रसाद मीणा, पंपत्र. देसूरी जिला पाली



अतिरिक्त आयुक्त